राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1035/2011

चेतन लाल जैन **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर जोन, उदयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, चित्तौड़गढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.07.2011
आदेश की दिनांक : 16.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड III पर प्रथम नियुक्ति विकास अधिकारी, पंचायत समिति बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा आदेश दिनांक 05.11.1984 (अनुलग्नक–1) द्वारा पे–स्केल 490–840 पर अस्थाई आधार पर 6 माह अथवा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो प्रदान की गई। नियुक्ति के समय अपीलार्थी की योग्यता बी.कॉम थी। अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 05.11.1984 की अनुपालना में दिनांक 07.11.1984 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय पालाखेडी पंचायत समिति बडी सादडी में कार्यग्रहण किया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06.04.1988 द्वारा पंचायत समितियों में दिनांक 31.12.1985 तक नियुक्त अध्यापकों को निर्धारित शर्ते पूरी करने की दशा में संवीक्षा जिला स्थापना समिति द्वारा इनकी संवीक्षा की जाकर इनकी सेवाएं नियमित करने हेतु निर्देशित किया गया (अनुलग्नक–2)। जिला स्थापना समिति चित्तौडगढ़ द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही कर पत्र दिनांक 26.10.1988 द्वारा पंचायत समिति बढ़ी सादड़ी को सूचित किया (अनुलग्नक–3) जिसके आधार पर विकास अधिकारी पंचायत समिति बड़ी सादड़ी ने अपीलार्थी की सेवाएं नियमित करने का आदेश दिनांक 16.11.1988 को जारी किया (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी का निवेदन है कि उसकी सेवाएं दिनांक 07.11.1984 से नियमित की गई है। अतः वह दिनांक 07.11.1984 से सेवा परिलाभ यथा वेतन नियतन सालाना वेतन वृद्धि, चयनित वेतनमान वरिष्ठता एवं पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है, परन्तु जिला चित्तौड़गढ़ की वरिष्ठता दिनांक 17.05.1993 जो अध्यापक ग्रेड III की है उसमें अपीलार्थी को गलत रूप से क्रम संख्या 663 पर वर्ष 1987–88 में नियुक्त होना दर्शाया गया जबकि उसके बाद नियुक्ति अनेक कार्मिकों को वरिष्ठता सूची में

अपीलार्थी से उपर रखा गया। अपीलार्थी को यह पता चला कि दिनांक 26.10.1988 को जारी वर्ष 1985–1986 की वरिष्ठता सूची में कई अन्य व्यक्तियों के नाम शामिल थे, जिनकी नियुक्ति अपीलार्थी की तुलना में बहुत बाद में हुई थी। उदाहरण के तौर पर, श्री अभय कुमार नागौरी (नियुक्ति दिनांक 10.08.1985, वर्ष 1985–86 के लिए वरिष्ठता सूची दिनांक 26.10.88 में क्रम संख्या 149 पर दर्शाया गया नाम), श्री के नामों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। जगदीश चंद मेघवाल (नियुक्ति तिथि 09.11.84, वर्ष 1985–86 के लिए वरिष्ठता सूची दिनांक 26.10.88 में क्रम संख्या 220 पर दर्शाया गया नाम), श्री जभाक लाल टाक (नियुक्ति तिथि 09.11.84, नाम वरिष्ठता सूची में क्रमांक 220 पर दर्शाया गया है) वर्ष 1985–86 के लिए वरिष्ठता सूची दिनांक 26.10.88 में क्रमांक 192), श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा (नियुक्ति तिथि 12.08.85, वर्ष 1985 के लिए वरिष्ठता सूची दिनांक 26.10.88 में क्रमांक 177 पर दर्शाया गया नाम) –86), श्री विष्णु लाल नागदा (नियुक्ति तिथि 09.11.84, वर्ष 1985–86 हेतु वरिष्ठता सूची दिनांक 26.10. 88 में क्रमांक 163 पर दर्शाया गया नाम), श्री अनिल कुमार डूंगरवाल (नियुक्ति तिथि 09.08.85) , वर्ष 1985–86 के लिए वरिष्ठता सूची दिनांक 26.10.88 में क्रमांक 135 पर नाम दर्शाया गया है) तथा श्री शांति स्वरूप दीक्षित (नियुक्ति दिनांक 12.07.85, नाम क्रमांक 121 पर दर्शाया गया है) वर्ष 1985–86 हेतु वरिष्ठता सूची दिनांक 26.10.88) तैयार संदर्भ के लिए वरिष्ठता सूची दिनांक 17.05.93 की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है और इसे अनुबंध–5 के रूप में चिह्नित किया गया है। जिसमें बाद में नियुक्त अनेक कार्मिकों को वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी से उपर रखा गया। अपील में अपीलार्थी द्वारा कई ऐसे कार्मिकों के नाम, उनकी नियुक्ति तिथि एवं वरिष्ठता क्रमांक का हवाला किया है मात्र वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम शामिल नहीं किया जिस पर अपीलार्थी द्वारा समय–समय पर अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जो पत्रावली पर उपलब्ध है (अनुलग्नक–6 से 12)। अपीलार्थी के उचित अधिकार से वंचित रखते हुए उसके बाद में नियुक्त कार्मिकों को अध्यापक ग्रेड II पर पदोन्नति प्रदान कर दी (अनुलग्नक–13 एवं 14)। अपीलार्थी के अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया एवं अपीलार्थी इसके बाद भी लगातार अभ्यावेदन देता रहा है। अपीलार्थी को अत्यन्त विलम्ब से आदेश दिनांक 09.09.2006 द्वारा अध्यापक ग्रेड II पर अस्थाई पदोन्नति दे दी गई (अनुलग्नक–22)। उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को अपीलार्थी का नाम उसकी प्रथम नियुक्ति तिथि 07.11.1984 से वरिष्ठता सूची में उचित स्थान पर रखे जाने हेतु निर्देशित किया (अनुलग्नक–23)। इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने का निवेदन किया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि 07.11.1984 के आधार पर वरिष्ठता सूची में और तदनुसार उनका नाम शिक्षक ग्रेड–द्वितीय के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता सूची में

भी शामिल किया जा सकता है और शिक्षक ग्रेड–द्वितीय के पद पर पदोन्नति के लिए अपीलार्थी की दिनांक 01.05.2000 या उससे पहले की तारीख से जब अपीलार्थी से कनिष्ठों को वर्ष 1998–99 या 1999–2000 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किया गया हो। वेतन निर्धारण, शिक्षक ग्रेड–II के पद पर वरिष्ठता का निर्धारण और वेतन के अंतर की बकाया राशि सहित परिणामी लाभ पर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा समय समय पर अस्थाई वरिष्ठता सूची प्रकाशित कर परिवेदना आमंत्रित की जाती है एवं प्राप्त परिवेदनाओ के निस्तारण उपरान्त स्थाई सूची जारी की जाती है किन्तु अपीलार्थी द्वारा कोई परिवेदना दर्ज नही कराई गई है। इस आधार पर भी अपीलार्थी की अपील मेंटेनेबल नहीं है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रानुसार वरिष्ठता का निर्धारण पंचायत समिति के अध्यापको हेतु जिला स्थापना समिति जिला परिषद द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के चयन वर्ष एवं चयन क्रमांक के आधार क्रमानुसार किया जाता है तथा जिन अध्यापको की नियुक्ति स्थापना समिति जिला परिषद की चयन प्रक्रिया के बिना विकास अधिकारी द्वारा अस्थायी रूप से की गई है उन्हे स्थापना समिति द्वारा चयन प्रक्रिया अपनाई जाकर उनकी सेवाए नियमित किए जाने के आदेश जारी होने की तिथि से उनकी वरिष्ठता निर्धारित की जाती है पूर्व तिथि से नही। अपीलार्थी के संबंध मे उक्त आदेश दिनांक 26–10–88 को जारी हुआ। उक्त आधार पर ही अपीलार्थी को वरिष्ठता का लाभ प्रदान किया गया है, क्योकि कार्यालय स्तर पर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रदत्त निर्देशानुसार वरिष्ठता का निर्धारण कर वरिष्ठता सूची जारी की गई है। उक्त मद में अपीलार्थी द्वारा जिन अध्यापको का उदाहरण दिया गया है उन्हे स्थापना समिति की चयन प्रक्रिया उपरांत नियुक्ति प्रदान किए जाने से नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता प्रदान की गई है। वरिष्ठता के नियमो के अनुसार वरिष्ठता सूची तैयार की जाती है एवं वरिष्ठता सूची के आधार पर रिकित्तयो की संख्या के आधार पर पात्रता सूची तैयार की गई एवं पदोन्नतियों की गई है। अतः अपील खारिज किए जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं उभय पक्ष के कथन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड ııı पर प्रथम नियुक्ति पंचायत समिति बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा आदेश दिनांक 05.11.1984 (अनुलग्नक–1) अस्थाई आधार पर 6 माह अर्थात् चयनित आशार्थी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो प्रदान की गई। अपीलार्थी ने दिनांक 07.11.1984 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी निरन्तर कार्यरत रहा है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06.04.1988 द्वारा

पंचायत समितियों में दिनांक 31.12.1985 तक नियुक्त अध्यापकों को निर्धारित शर्ते पूरी करने की दशा में संवीक्षा जिाल स्थापना समिति द्वारा की जाकर इनकी सेवाएं नियमित करने हेतु निर्देशित किया गया (अनुलग्नक–2)। जिला स्थापना समिति चित्तौडगढ़ द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही कर पत्र दिनांक 26.10.1988 द्वारा पंचायत समिति बढ़ी सादड़ी को सूचित किया (अनुलग्नक–3) जिसके आधार पर विकास अधिकारी पंचायत समिति बड़ी सादड़ी ने अपीलार्थी की सेवाएं नियमित करने का आदेश दिनांक 16.11.1988 को जारी किया (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी का निवेदन है कि उसकी सेवाएं दिनांक 07.11.1984 से नियमित की गई है। अतः वह दिनांक 07.11.1984 से सेवा परिलाभ यथा वेतन नियतन, वार्षिक वेतन वृद्धि, चयनित वेतनमान वरिष्ठता एवं पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है। परन्तु जिला चित्तौड़गढ़ की वरिष्ठता दिनांक 17.05.1993 जो अध्यापक ग्रेड III की है उसमें अपीलार्थी को गलत रूप से क्रम संख्या 663 पर वर्ष 1987–88 में नियुक्त होना दर्शाया गया जबकि उसके बाद नियुक्त अनेक कार्मिकों को वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी से उपर रखा गया। अपील में अपीलार्थी द्वारा कई ऐसे कार्मिकों के नाम, उनकी नियुक्ति तिथि एवं वरिष्ठता क्रमांक का हवाला किया है परन्तु इस संबंध में वरिष्ठता सूची या अन्य ऐसे कार्मिक के संबंधित कोई दस्तावेज अपील में प्रस्तुत नहीं किए गये। वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम शामिल नहीं किया जिस पर अपीलार्थी द्वारा समय–समय पर अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जो पत्रावली पर उपलब्ध है (अनुलग्नक–6 से 12)। अपीलार्थी का निवेदन है कि उसे उसके विधिक अधिकार से वंचित रखते हुए उसके बाद में नियुक्त कार्मिकों को अध्यापक ग्रेड II पर पदोन्नति प्रदान कर दी (अनुलग्नक–13 एवं 14)। अपीलार्थी के अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया एवं अपीलार्थी इसके बाद भी लगातार अभ्यावेदन देता रहा है। अपीलार्थी को अत्यन्त विलम्ब से आदेश दिनांक 09.09.2006 द्वारा अध्यापक ग्रेड II पर अस्थाई पदोन्नति दे दी गई (अनुलग्नक–22)। उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को अपीलार्थी का नाम उसकी प्रथम नियुक्ति तिथि 07.11.1984 से वरिष्ठता सूची में उचित स्थान पर रखे जाने हेतु निर्देशित किया (अनुलग्नक–23)। इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने का निवेदन किया। अपीलार्थी ने प्रथम नियुक्ति तिथि 07.11.1984 से वरिष्ठता सूची अध्यापक ग्रेड II के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में शामिल करने एवं उसे अध्यापक ग्रेड II पर दिनांक 01.05.2020 से या उससे पहले जिस तिथि से उससे कनिष्ठों को वर्ष 1998–99 या 1999–2000 की रिक्ति पर पदोन्नति दी गई है। अपीलार्थी को पदोन्नति देने का निवेदन किया है एवं वेतन के अन्तर राशि का 12 प्रतिशत ब्याज से भुगतान कराया जावे।

उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का अस्थाई सेवाओं को पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के निर्देश पर जिला स्थापना समिति, जिला परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा संवीक्षा कर सेवाए नियमित करने का निर्णय लिया एवं पत्र दिनांक

26.10.1988 से पंचायत समिति बड़ी सादड़ी को सूचित किया एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति बड़ी सादड़ी ने आदेश दिनांक 16.11.1988 द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं नियमित कर दी। अपीलार्थी की सेवाएं उसी तिथि से नियमित मानी जायेगी जिस दिन उसकी सवीक्षा कर सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया गया। अतः अपीलार्थी के प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड के दृष्टिगत सेवाए नियमितीकरण दिनांक 26.10.1988 से माना जायेगा। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 07.11.1984 से उसे नियमित मानने का कथन स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है क्योंकि वह अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति नहीं थी बल्कि अस्थाई तौर पर लगाया गया था। वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य सेवा परिलाभ सेवाओं के नियमितकरण से ही देय होते है। अपीलार्थी को उसकी वरिष्ठता के अनुरूप अध्यापक ग्रेड II में पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशन अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दूओं पर अपना निर्णय दिया है :–

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?

(b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?

(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?

(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?

(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदूओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:–

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will

be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत के संदर्भ में हमारा यह विनम्र मत है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी आधार पर थी, जिसे अपीलार्थी अपनी सेवाकाल में जुड़वाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलार्थी की संवीक्षा कर सेवाएं नियमित करने के निर्णय से पूर्व की अस्थाई आधार पर कार्य करने की अवधि को वरिष्ठता पदोन्नति चयनित वेतनमान एवं अन्य सेवा परिलाभ देने देने हेतु गणना करने का अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं है। यह समस्त परिलाभ नियमित नियुक्ति तिथि/नियमितीकरण तिथि से ही देय होते है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य